(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2172–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आगर जिला आगर के प्रकरण कमांक 02/स्व0निगरानी/2014–15.

1. सलीम मोहम्मद पिता इकबाल खां
2. सिद्दिक खां पिता इकबाल खां
   निवासी आगर जिला आगर म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आगर
जिला आगर म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री एच0सी0 जैन, अभिभाषक आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर आगर जिला आगर के आदेश दिनांक 16–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा आगर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1759 रकबा 6.303 हे0 भूमि बन्दोबस्त के दौरान शासकीय होने तथा सम्वत 2007 के दौरान खसरे में पट्टा भूमि दर्ज करने और वर्तमान अभिलेखों में भूमिस्वामी दर्ज किये जाने के परिणामस्वरूप प्रकरण संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में परीक्षण में लेने हेतु कार्यवाही किया जाना शासनहित में आवश्यक समझते हुये प्रकरण कमांक 34/बी–121/2004–15 दर्ज कर आवेदकों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जबाव प्राप्त

किया तथा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 19–1–2015 तैयार कर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विचाराधीन भूमि शासकीय दर्ज करने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर आगर को प्रेषित किया। कलेक्टर आगर ने दिनांक 5–2–2015 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव प्राप्त करने हेतु नियत किया। आवेदकों की ओर से आदेश 18 नियम 1 सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर कलेक्टर ने दिनांक 16–6–2015 को आवेदकों का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि तहसीलदार आगर द्वारा जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वह दस्तावेजी प्रमाण के साथ भेजा तथा इसी आधार पर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की जाकर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर शासन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा प्रकरण आवेदकों के साक्ष्य हेतु नियत किया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क में कहा कि कलेक्टर आगर द्वारा मूल प्रकरण लगभग 91 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लिया जाकर संवत 1981 की मिसल बन्दोबस्त जो कि रिकार्ड पर नहीं और उसकी प्रति निगरानीकर्ता को प्रदान नहीं की गयी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर आगर द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 18 नियम 1 सी0पी0सी0 को निरस्त कर निगरानीकर्ता जिसे की संवत 1981 के किसी रिकार्ड की जानकारी नहीं उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 16–6–15 द्वारा देने में वैधानिक त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर आगर ने प्रथमदृष्टया 91 वर्ष पश्चात किसी सन्देहास्पद दस्तावेज के आधार पर दुर्भावनापूर्वक स्वमेव निगरानी में लेने का मूल आदेश दिनांक 05–2–15

ही अवधि बाह्य होने के उपरान्त तथा उसका अवधि संबंधी निराकरण का प्रश्न राजस्व मण्डल के समक्ष वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उपरान्त निगरानीकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देने में वैधानिक त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि संवत 1981 पश्चात निगरानीकर्ता की कई पीढियां गुजर चुकी है तथा वर्तमान रिकार्ड अस्तित्व में होकर उसकी जानकारी उभय पक्षों को है। इसके उपरांत भी 91 वर्ष पूर्व के तथ्यों के आधार पर बिना जांच तथा बिना शासन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा उस पर कूटपरीक्षण का अवसर दिये 91 वर्ष पश्चात वर्तमान स्वामियों को साक्ष्य प्रारंभ करने का निर्देश देने में तथा निगरानीकर्ता का आवेदन आदेश 18 नियम 1 सी0पी0सी0 का निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। अतः कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने 91 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पहले वादी पक्ष के साक्ष्य लिये जाने चाहिए तत्पश्चात प्रतिवादी के। कलेक्टर को सर्वप्रथम शासन पक्ष के साक्ष्य ग्रहण करने चाहिए तत्पश्चात अनावेदक के साक्ष्य लिये जाने चाहिए थे। आवेदकों की ओर से प्रस्तुत आदेश आदेश 18 नियम 1 सी0पी0सी0 का आवेदन निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है। कलेक्टर द्वारा 91 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने तथा शासन के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर आवेदक के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत करने के सम्बन्ध में प्रकरण कलेक्टर आगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुनर्विचार करें तथा सर्वप्रथम वादी शासन

पक्ष के साक्ष्य ग्रहण करने तथा आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर देने के उपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाहीं करें।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आगर का अंतरिम आदेश दिनांक 16–6–15 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उक्त निर्देश के साथ कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर